## न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

**1– अपील/डिक्री/टीए/75/2003/भीलवाड़ा**

1– भूरदास पुत्र नाथूराम (मृतक) जरिये वारिसानः–

1/1. भैरूदास पुत्र स्व0 भूरदास (मृतक) जरिये वारिसानः–

1/1/1. प्रेम पत्नी स्व0 भैरूदास (नाम तर्क)

1/1/2. नारायण पुत्र स्व0 भैरूदास

समस्त जाति वैरागी निवासीगण दाता नीलावरी तहसील बनेडा जिला भीलवाडा।

1/1/3. राधा पुत्री स्व0 भैरूदास पत्नी कमलेश निवासी निम्बाडा तहसील बनेठा जिला भीलवाडा।

1/1/4. रूकमन पुत्री स्व0 भैरूदास पत्नी जगदीश वैष्णव निवासी जीती वास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।

1/1/5. रामकन्या पुत्री स्व0 भैरूदास पत्नी कन्हैयालाल निवासी ग्राम पितास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।

2– बालूदास पुत्र नाथूराम (मृतक) जरिये वारिसानः–

2/1. लादूदास पुत्र स्व0 बालूदास

2/2. सीयारामदास पुत्र स्व0 बालूदास

समस्त जाति वैरागी निवासी ग्राम दांता नीलावरी तहसील बनेडा जिला भीलवाडा।

2/3. नन्नू पुत्री बालूदास पत्नी मदनदास वैरागी निवासी ग्राम भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा।

2/4. प्रेम पुत्री बालूदास पत्नी राधेश्यामदास वगैरागी निवासी ग्राम नानरा का खेडा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा।

2/5. भागुती पुत्री बालूदास पत्नी रोशनदास जाति वैरागी निवासी ग्राम भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा।

.....**अपीलार्थीगण**

बनाम

1– शंकरलाल पुत्र पन्ना

2– भंवरलाल पुत्र पन्ना

3– गीता पुत्री पन्ना

4– परमेश पुत्री पन्ना

समस्त जाति जाट निवासीगण दांता निलावरी तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा।

5– श्रीमती कमला पुत्री छोगा पत्नी जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी ग्राम वरण तहसील बनेडा जिला भीलवाडा।
6– ठाकुर जी रूघनाथ स्थान देह दांता नीलावरी जरिये पुजारीयान (अपीलार्थी संख्या 1/1/2 लगायत 2/1 से 2/5) वारिस भूरदास, बालूदास
7– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।

**.....प्रत्यर्थीगण**

**2– अपील/डिक्री/टीए/166/2003/भीलवाड़ा**

1– शंकरलाल पुत्र पन्ना
2– भंवरलाल पुत्र पन्ना
3– गीता पुत्री पन्ना
4– परमेश पुत्री पन्ना
समस्त जाति जाट निवासीगण दांता निलावरी तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा।

**.....अपीलार्थी**

बनाम

1– भूरदास पुत्र नाथूराम (मृतक) जरिये वारिसानः–
1/1. भैरूदास पुत्र स्व0 भूरदास (मृतक) जरिये वारिसानः–
1/1/1. प्रेम पत्नी स्व0 भैरूदास (नाम तर्क)
1/1/2. नारायण पुत्र स्व0 भैरूदास
समस्त जाति वैरागी निवासीगण दाता नीलावरी तहसील बनेडा जिला भीलवाडा।
1/1/3. राधा पुत्री स्व0 भैरूदास पत्नी कमलेश निवासी निम्बाडा तहसील बनेठा जिला भीलवाडा।
1/1/4. रूकमन पुत्री स्व0 भैरूदास पत्नी जगदीश वैष्णव निवासी जीती वास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
1/1/5. रामकन्या पुत्री स्व0 भैरूदास पत्नी कन्हैयालाल निवासी ग्राम पितास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
2– बालूदास पुत्र नाथूराम (मृतक) जरिये वारिसानः–
2/1. लादूदास पुत्र स्व0 बालूदास
2/2. सीयारामदास पुत्र स्व0 बालूदास
समस्त जाति वैरागी निवासी ग्राम दांता नीलावरी तहसील बनेडा जिला भीलवाडा।
2/3. नन्नू पुत्री बालूदास पत्नी मदनदास वैरागी निवासी

ग्राम भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा।

2/4. प्रेम पुत्री बालूदास पत्नी राधेश्यामदास वगैरागी निवासी ग्राम नानरा का खेडा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा।

2/5. भागुती पुत्री बालूदास पत्नी रोशनदास जाति वैरागी निवासी ग्राम भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाडा।

3– श्रीमती कमला पुत्री छोगा पत्नी जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी ग्राम वरण तहसील बनेडा जिला भीलवाडा।

4– ठाकुर जी रूघनाथ स्थान देह दांता नीलावरी जरिये पुजारीयान (प्रत्यर्थी संख्या 1/1/2 लगायत 2/1 से 2/5) वारिस भूरदास, बालूदास

5– राजस्थान सरकार

**.....प्रत्यर्थीगण**

**खण्ड पीठ**
**श्री किशोर कुमार, सदस्य**
**डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य**

**उपस्थितः–**
**अपील/डिक्री/टीए/75/2003**
श्री वैभव कृष्ण पारीक, अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री एस.पी. सिंह, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण संख्या 1 ता 4

**अपील/डिक्री/टीए/166/2003**
श्री एस.पी. सिंह, अभिभाषक अपीलार्थी संख्या 1 ता 4
श्री वैभव कृष्ण पारीक, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2

**निर्णय**
**दिनांक– 02–2–2026**

1– दोनों अपीलें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा के निर्णय व डिक्री दिनांक 22–10–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

**2–** दोनों ही अपीलों में विवादित भूमि, विवाद बिन्दु और पक्षकारान समान होकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के एक ही निर्णय व डिक्री से संबंधित हैं इसलिए हमारे द्वारा इन दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे।

**3–** अपील संख्या 75/2003 में वादीगण अपीलार्थीगण संख्या 1 व 2 भूरदास व बालूराम पक्षकार हैं तथा प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण पक्षकार हैं। अपील संख्या 166/2003 में वादीगण प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 भूरदास व बालूराम पक्षकार हैं तथा प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण के पिता स्व0 पन्ना एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 लगायत 5 पक्षकार हैं।

**4–** प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा न्यायालय में वादीगण भूरदास व बालूराम ने प्रतिवादी स्व0 पन्ना एवं गटू व कमला वारिसान छोगा तथा ठाकुर जी रूघनाथ जी जरिये पुजारियान के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 एवं 136 के तहत वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम दांता निलावरी तहसील बनेड़ा में स्थित वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 349/2, 355, 443 एवं 444/2 कुल किता 4 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा वादीगण के दादा मोडीराम के खातेदारी में दर्ज होकर वादीगण जरिये विरासत इस भूमि के अधिकारी हैं। उक्त आराजियात के नवीन खसरा नम्बर 875, 878, 865, 866 एवं 1036 कुल किता 5 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा कायम किए जाकर हाल खसरा नम्बर 873 रकबा 12 बिस्वा, 865 रकबा 16 बिस्वा एवं 866 रकबा 1 बीघा प्रतिवादी पन्ना पुत्र

गुलाब जाट के खातेदारी में दर्ज कर दी गई एवं हाल खसरा नम्बर 875, 878 एवं 1036 प्रतिवादी संख्या 4 ठाकुर जी रूघनाथ जी के नाम दर्ज की गई एवं हाल खसरा नम्बर 879 रकबा 4 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 छोगा की पत्नि व पुत्री के नाम दर्ज कर दी गई, जो कि गैर कानूनी होकर उक्त वर्णित समस्त वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम घोषित की जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। विचारण न्यायालय ने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए। प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने पर दिनांक 08–9–1993 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तत्पश्चात प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से आदेश 9 नियम 7 सीपीसी प्रार्थना पत्र पेश करने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से वाद पत्र का जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने दावे व जवाब दावे के आधार पर अनुतोष सहित कुल 8 तनकीयात कायम कर बाद सुनवाई अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17–05–2001 द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार कर वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया, जिसके विरूद्ध प्रतिवादी पन्ना के वारिसान अपीलार्थीगण ने प्रथम अपील भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा न्यायालय में प्रस्तुत की, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 22–10–2002 द्वारा अपील खारिज कर वादपत्र में वर्णित समस्त आराजी मुतनाजा को प्रतिवादी ठाकुरजी रूघनाथ जी महाराज के खातेदारी में दर्ज करने के आदेश पारित किये। इससे व्यथित होकर दावे में वादीगण तथा प्रतिवादी पन्ना के वारिसान द्वारा दो अलग–अलग अपीलें मण्डल के समक्ष पेश की गई हैं।

**5–** उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

**6–** दोनों अपीलों में भूरदास व बालूदास वादीगण तथा उनके वारिसान के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी आधार एवं कारण के विवादित आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। अपीलीय न्यायालय द्वारा एकतरफ तो अपील खारिज की गई है वहीं दूसरी तरफ विवादित भूमि को प्रतिवादी ठाकुर जी रूघनाथ जी के नाम खातेदारी अंकित किये जाने का आदेश पारित किया है, जो पूर्णतया अवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण वादीगण द्वारा प्रस्तुत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पूर्व में वादीगण के दादा मोडीराम वल्द नेपालदास की खातेदारी में दर्ज थी जिसके पश्चात विवादित भूमि की खातेदारी वादी अपीलार्थीगण के नाम दर्ज हो चुकी थी, लेकिन भू–प्रबन्ध के दौरान विवादित भूमि की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 875, 878, 1036 ठाकुर जी रूघनाथ जी के नाम तथा आराजी खसरा नम्बर 865, 866 पन्ना पुत्र गुलाब के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी गई जबकि वह भूमि भूरदास व बालूदास के नाम ही अंकित की जानी चाहिए थी। भू– प्रबन्ध विभाग को इस प्रकार इन्द्राज परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था तथा उन्हें केवल मात्र पूर्व की प्रविष्टियों को ही दर्ज करना चाहिए था, इसलिए भू– प्रबन्ध विभाग द्वारा जो राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज प्रत्यर्थीगण के नाम किया गया था वह पूर्णतया अवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के

विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित भूमि की खातेदारी मंदिर की खातेदारी भूमि नहीं थी तथा जो इन्द्राज प्रतिवादी मंदिर के नाम दर्ज किया गया था वह कानूनी प्रावधानों के विपरित है। विचारण न्यायालय द्वारा विवादित भूमि की खातेदारी विधिसम्मत निर्णय द्वारा वादीगण को प्रदान की गई थी। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी मंदिर द्वारा कोई भी अपील अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई थी, इसलिए विचारण न्यायालय का निर्णय प्रतिवादी के विरूद्ध अंतिम आदेश की परिभाषा में आता था। इसके उपरांत भी अपीलीय न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अपीलीय न्यायालय ने अपील की रिलीफ से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है जो कतई विधिसम्मत नहीं है। विधि में सर्वमान्य है कि किसी पक्षकार द्वारा अपील प्रस्तुत किये बिना उसे अपील में रिलीफ नहीं दी जा सकती। अपीलीय न्यायालय का आदेश बिना विधितः विचारण के मनमाना आदेश है जिसमें आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। इसलिये अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत कायम रखा जावे। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में 1976 एआईआर पेज 332, 2003 एआईआर (एससी) पेज 160, 1957 आरआरडी पेज 231, 1963 आरआरडी पेज 101, 2017 (1) आरआरटी पेज 664, 2016 आरबीजे पेज 303, 2000 डीएनजे (राज.) पेज 235 एवं 2009 आरआरडी पेज 83 नजीरें पेश की।

**7–** अपीलों में प्रतिवादी पन्ना के वारिसान के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपनी अपील मीमों में

अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय में भूरदास व बालूदास द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत राजस्व वाद प्रस्तुत किया, जिसका जवाब दावा पन्ना जाट वगैरह ने प्रस्तुत कर स्पष्ट अभिकथन किया था कि हाल खसरा नम्बर 865 एवं 866 का खातेदार काबिज खातेदार काश्तकार नाथूलाल महाजन था, जिसके मृत्यु पश्चात उक्त भूमि उसकी बेवा मांगी बाई के खातेदारी में दर्ज की गई जिसको प्रतिफल देकर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01–10–1981 पन्ना द्वारा क्रय की है जिसके आधार पर पन्ना जाट के पक्ष में खातेदारी का नामान्तकरण भी तस्दीक हो चुका है एवं उनके द्वारा सरकार को लगान भी अदा किया जा रहा है। जब तक उक्त विक्रय पत्र प्रभाव में है तब तक वादीगण को कानूनन उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अपीलार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए महत्वपूर्ण राजस्व रिकॉर्ड को अनदेखा कर बन्दोबस्त राज्य मेवाड़ उदयपुर की पानड़ी सम्वत् 1985 को ही सर्वसत्य मानकर वादीगण के वाद को डिक्री कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया गया, जबकि उक्त पानड़ी साक्ष्य में ग्राह्य ही नहीं थी, ना ही कानूनन उसको साक्ष्य में पढ़ा जा सकता है। उक्त पानड़ी में पन्ना द्वारा क्रय की गई भूमि खसरा नम्बर 865 व 866 का कोई हवाला भी नहीं है, इसलिए कानूनन उक्त दोनों खसरा नम्बरान का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–5–2001 के विरूद्ध दायर अपील में बिना किसी ठोस कानूनी आधारों के अपील को खारिज कर वादग्रस्त

भूमि को प्रत्यर्थी प्रतिवादी मन्दिर ठाकुर जी रूघनाथ जी महाराज के खातेदारी में दर्ज करने बाबत डिक्री पारित की गई है। अपीलीय न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा वाद पत्र एवं प्रथम अपील में प्रस्तुत किए गए अभिवचनों एवं चाहे गए अनुतोष के विपरीत जाकर गैर कानूनी निर्णय व डिक्री दिनांक 22–10–2002 पारित की गई है। उक्त निर्णय एवं डिक्री क्षैत्राधिकार विहीन होकर मनमाने तथा गैर कानूनी विवेचन पर आधारित होने के कारण निरस्त योग्य है। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री क्रमशः दिनांक 12–10–2002 एवं दिनांक 17–5–2001 को पन्ना के वारिसान अपीलार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 865 एवं 866 की सीमा तक निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

**8–** उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध निर्णयों के साथ–साथ अधीनस्थ न्यायालयों के रिकॉर्ड का गहनता से अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

**9–** वादीगण भूरदास व बालूराम द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के दावे में खसरा नम्बर 865 व 866 का पन्ना पुत्र गुलाब तथा खसरा नम्बर 875, 878 व 1036 का ठाकुर जी रूघनाथ जी के नाम वक्त सेटलमेन्ट भूमि गलत दर्ज हो जाने तथा इस भूमि के साबिक नम्बरों की खातेदारी वादीगण के दादा एवं उनके पश्चात वादीगण के नाम दर्ज होने के आधार पर इस भूमि पर पन्ना व ठाकुर जी रूघनाथ जी का नाम हटाकर उन्हें खातेदार घोषित करने की रिलीफ चाही गई।

प्रतिवादी पन्ना एवं कमला द्वारा वाद अस्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने तनकीयात कायम करते हुए साक्ष्य अवस्था में प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 17–5–2001 द्वारा दावा डिक्री किया गया। इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध पन्ना द्वारा भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा न्यायालय में अपील की गई, जिसमें अपीलीय न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22–10–2002 द्वारा समस्त भूमि खसरा नम्बर 875, 878, 865, 866 व 1036 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा को प्रतिवादी ठाकुर जी रूघनाथ जी की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिया गया। अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायायल के तनकीवार निर्णय के बनिस्पत मातहत अपीलीय न्यायालय ने बिना विवाद बिन्दुओं पर स्पष्ट एवं विस्तृत विवेचन किए निर्णय पारित किया है, जो कि आदेश 41 नियम 31 के आज्ञापक प्रावधान की अवेहलना करते हुये प्रदत्त किया जाना परिलक्षित है। साथ ही अपील में पन्ना ने खसरा नम्बर 865 व 866 की हद तक विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने का निवेदन किया था, जबकि निर्णय दिनांक 22–10–2002 में समस्त विवादित भूमि को ही प्रतिवादी ठाकुर जी रूघनाथ जी के नाम दर्ज करने का आदेश दे दिया गया। हम पक्षकार भूरदास व बालूराम के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित इस विधिक प्रावधान से सहमति रखते हैं कि अपील स्टेज पर नया केस नहीं बनाया जा सकता तथा जिस पक्षकार द्वारा अपील नहीं की गई है उसके पक्ष में निर्णय करना विधि के आज्ञापक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। अतः हमारी सुविचारित राय

में मातहत अपीलीय न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होकर स्थापित रखने योग्य नहीं है।

10– प्रकरण में वाद पत्र अनुसार भूरदास व बालूराम वादी होकर वे स्वयं को मन्दिर ठाकुर जी रूघनाथ जी का पुजारी होना भी बताते हैं। दावे में उनके द्वारा मन्दिर को प्रतिवादी संख्या 4 बनाया गया है जिसमें भी वे जरिये स्वयं पुजारियान मन्दिर को पक्षकार स्थापित कर रहे हैं। दावे में कुछ भूमि पर वादीगण द्वारा मन्दिर की खातेदारी हटाकर स्वयं को खातेदार होना क्लेम करने से वादीगण के हित मन्दिर से विपरीत व प्रतिस्पर्धी होने से हमारा स्पष्ट अभिमत है कि दावे में मन्दिर ठाकुर जी रूघनाथ जी स्थान देह दांता निलावरी के विधिसम्मत हितो की कतई सुरक्षा नहीं हुई है तथा विचारण न्यायालय ने पक्षकारों व रिलीफ के इस प्रकार संयोजित होने की स्थिति को नजरअंदाज करते हुए मन्दिर के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर वादीगण का दावा डिक्री कर गलत रूप से निर्णय किया गया है। दावे में क्योंकि ठाकुर जी रूघनाथ जी के पुजारी स्वयं वादीगण होकर मन्दिर के नाम दर्ज भूमि को स्वयं की खातेदारी में दर्ज करवाना चाहते हैं, इसलिए दावे में मन्दिर के विधिक हितों की रक्षार्थ तहसीलदार बनेड़ा को संरक्षक किया जाना हम उचित मानते हैं। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से सभी प्रलेखीय साक्ष्य प्रदर्श दस्तावेजों की छाया प्रतियों पर मार्क किये जाने से हमारे मतानुसार दावे को डिक्री करने में प्रक्रियात्मक विधि की भी समुचित पालना नहीं की गई है। अगर प्रतिवादी पक्ष पन्ना वगैरह अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उन्हें भी इस हेतु समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इस प्रकार विचारण न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17–5–2001 भी त्रुटिपूर्ण

एवं विधिविरूद्ध निर्णय होने से निरस्तनीय होकर प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषण योग्य है।

**11–** अतः विवेचन अनुसार निर्णय स्वरूप अपील संख्या 75/2003 तथा 166/2003 अंशतः स्वीकार की जाकर न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा का निर्णय एवं डिक्री क्रमशः दिनांक 22–10–2002 एवं 17–5–2001 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि निर्णय के पैरा 10 विवेचन अनुसार पालना कर उभय पक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण को पुनः विधिसम्मत निर्णय द्वारा निस्तारित करें। पत्रावली फैसल शुमार रहे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)**
**सदस्य**

**(किशोर कुमार)**
**सदस्य**